रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड ()

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 63] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 1972/फाल्गुन 4, 1893

No. 63] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 1972/PHALGUNA 4, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February 1972

G.S.R. 88(E).—The following Order made by President on 20th February, 1972, is published for general information:—

In pursuance of the powers conferred by section 48 of the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (10 of 1971), the President hereby makes the following Order:—

THE NORTH EASTERN AREAS (REORGANISATION) (GOVERNORS' ALLOWANCES AND PRIVILEGES) PROVISIONAL ORDER, 1972

1. (1) This Order may be called the North-Eastern Area (Reorganisation) (Governors' Allowances and Privileges) Provisional Order, 1972.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 21st January, 1972 and shall cease to have effect on the 31st day of March, 1972.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. In this Order,—

(a) "Governor" means the Governor of the State of Manipur or Tripura;

(b) "maintenance" in relation to official residence includes the payment of local rates and taxes and the provision of electricity, gas and water and in relation to motor cars, includes the pay and allowances of chauffeurs and the provision of oil and petrol;

(c) "official railway saloons, river craft and aircraft" in relation to the Governor mean such railway saloons, river craft and aircraft, if any, as may be provided for his use;

(d) "official residence" in relation to the Governor means the official residence specified in column (2) of the First Schedule to this Order and includes such other residence or residences as may be used as the official residence or residences of the Governor and also includes the staff quarters and other buildings appurtenant thereto and the gardens thereof.

4. There shall also be paid to the Governor a sum to be fixed from time to time by the President and to be payable subject to such conditions as may be determined by him, to be spent on the purchase of suitable motor cars for the use of the Governor, and the actual expenses on the freight and insurance in transporting those motor cars to the State.

5. The Governor shall be entitled, without payment of rent or hire, to the use of his official residence and official railway saloons and river craft and aircraft and of the motor cars provided for his use, and no charge shall fall on him personally in respect of the maintenance thereof.

6. There shall be paid from time to time to the Governor an allowance equal to his actual expenses in renewing the furnishings of his official residence, so, however, that the total amount paid shall not exceed the maximum specified in column (3) of the First Schedule to this Order.

7. In order that the Governor may be enabled to discharge conveniently and with dignity the duties of his office, there shall be charged on, and paid out of, the Consolidated Fund of the State of Manipur or Tripura, as the case may be,—

(a) for each of the purposes specified in the Second Schedule to this Order such amount, not exceeding the maximum amount specified in the appropriate column of that Schedule, as may be required by the Governor;

(b) for the maintenance, improvement, renewal or replacement of the Governor's official residence an amount not exceeding the amount specified in the Third Schedule to this Order; and

(c) such amount for expenditure on official railway saloons as may be determined by special order of the President:

Provided that

(1) the Governor may, with the approval of the President, reappropriate, whenever necessary, from one sub-head to another sub-head specified in the said Second Schedule, but so as not to exceed the maximum amount specified in column (8) thereof;

(2) if dearness or other allowance admissible at the commencement of this Order be merged in the pay or increased or reduced at any time, the maximum amount specified against any of the appropriate sub-heads of the said Second Schedule shall be deemed to have been increased or reduced accordingly;

(3) no expenditure shall be incurred on the maintenance, improvement, renewal or replacement of official residence in excess of the amounts specified in the said Third Schedule except in pursuance of an order made by the President in this behalf.

8. No customs duties shall be levied on the following articles if imported or purchased out of bond by the Governor on appointment or during his tenure of office,—

(a) articles for the personal use, wear or consumption of the Governor or any member of his family;

(b) food, drink and tobacco for consumption by members of the Governor's household or by his guests, whether official or not;

(c) articles for the furnishing of the official residence of the Governor;

(d) motor cars provided for the Governor's use.

THE FIRST SCHEDULE

[*See* paragraphs 3(d) and (6)]

State	Official Residence	Maximum allowance to the Governor for renewal of furnishings
(1)	(2)	(3)
Manipur	The Government House at Imphal	Rs. 2,500
Tripura	The Government House at Agartala	Rs. 2,500

THE SECOND SCHEDULE

(*See* paragraph 7)

The amount allotted provisionally for the Governors of Manipur and Tripura

State	Sumptuary allowance	Staff and Household				Tour expenses	Total
		Comptroller of the Household, ADC and his establishment	Entertainment allowance	Maintenance and repairs of furnishings of official residences	Contract allowance i.e. an allowance for miscellaneous expenses, including maintenance of motor cars		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Manipur	1,200	14,000	200	1,000	2,500	20,000	38,900
Tripura	1,200	17,000	200	1,000	2,500	26,000	47,900

THE THIRD SCHEDULE

(*See* paragraph 7)

Expenditure in respect of official residence of Governors—Maintenance and repairs

State	Improvement	Gardens	Electricity	Water	Taxes	Repairs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Manipur			Rs. 5,000			
Tripura			Rs. 5,000			

V. V. GIRI,
President.

[No. 2/2/72-Pub. I.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1972

सा० का० नि०88 (अ०)—राष्ट्रपति द्वारा 20 फरवरी, 1972 को किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है —

राष्ट्रपति, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 10) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण मे एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते है —

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (राज्यपालो के भत्ते और विशेषाधिकार) अनंतिम आदेश, 1972।

1. (1) इस आदेश का नाम पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (राज्यपालो के भत्ते और विशेषाधिकार) अनंतिम आदेश, 1972 होगा।

(2) यह 21 जनवरी, 1972 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा और 31 मार्च, 1972 को इसका प्रभावी होना समाप्त हो जाएगा।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. इस आदेश मे,—

(क) "राज्यपाल" मे मणिपुर या त्रिपुरा राज्य का राज्यपाल अभिप्रेत है,

(ख) शासकीय निवास के सम्बन्ध मे, "अनुरक्षण" के अन्तर्गत स्थानीय रेटो और करो का सदाय तथा विद्युत, गस और जल का उपबन्ध है और मोटर कारो के संबंध मे शोफरो के वेतन और भत्ते तथा तेल और पैट्रोल का उपबन्ध आते है ;

(ग) राज्यपाल के सबध मे "शासकीय रेलवे सेलूनो, नदी यान और वायुयान" से ऐसे रेलवे सेलून, नदी-यान और वायुयान, यदि कोई हो, अभिप्रेत है जो उसके उपयोग के लिए दिए जाए,

(घ) राज्यपाल के सबध मे "शासकीय निवास" से इस आदेश की प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (2) मे विनिर्दिष्ट शासकीय निवास अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसे अन्य निवास भी है या है, जो राज्यपाल के शासकीय निवास के रूप मे प्रयुक्त किया जाय या किए जाए और इसके अन्तर्गत कर्मचारिवृन्द के क्वार्टर और उनसे अनुलग्न अन्य भवन और उनके उद्यान भी है।

4. राज्यपाल को, राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर नियत की जाने वाला, कोई राशि भी सदत्त की जाएगी और वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उनके द्वारा आधारित की जाए, राज्यपाल के उपयोग के लिए उपयुक्त मोटर कारो की खरीद पर खर्च करने और उन मोटर कारो को अपने राज्य मे लजाने मे ढुलाई तथा बीमे पर वास्तविक व्यय के लिए सदेय होगी।

5 राज्यपाल, भाटक या भाड़े के संदाय के बिना, अपने शासकीय निवास और शासकीय रेलवे सेलूनों और नदी-यान और वायुयान और उसके उपयोग के लिए दी गई मोटर कारों के उपयोग करने का हकदार होगा और उनके अनुरक्षण के बारे में उस पर वैयक्तिक रूप से कोई प्रभार नहीं पड़ेगा ।

6. राज्यपाल को समय-समय पर अपने शासकीय निवास की सुसज्जा का नवाकरण करने में अपने वास्तविक व्यय के बराबर भत्ता संदत्त किया जाएगा, किन्तु इस प्रकार कि संदत्त कुल रकम इस आदेश की प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम से अधिक न हो ।

7. इसलिए कि राज्यपाल अपने पद के कर्त्तव्यों का सुविधानुसार और गरिमा से निर्वहन करने में समर्थ हो सके, यथास्थिति, मणिपुर या त्रिपुरा राज्य की संचित निधि पर निम्नलिखित भारित होगा और उसमें से संदत्त किया जाएगा,

(क) इस आदेश की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से प्रत्येक के लिए उस अनुसूची के समुचित स्तम्भ मे विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम से अनधिक उतनी रकम, जितनी राज्यपाल द्वारा अपेक्षित हो ;

(ख) राज्यपाल के शासकीय निवास के अनुरक्षण, सुधार, नवीकरण या पुनःस्थापन के लिए इस आदेश की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक रकम ; और

(ग) शासकीय रेलवे सेलूनों पर व्यय के लिए उतनी रकम जितनी राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जाए ;

परन्तु—

(1) राज्यपाल, राष्ट्रपति के अनुमोदन से जब कभी आवश्यक हो, उक्त द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में पुनर्विनियोजन कर सकेगा, किन्तु इस प्रकार कि वह रकम उसके स्तम्भ (8) में विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम से अधिक न हो ;

(2) इस आदेश के प्रारम्भ पर अनुज्ञेय महंगाई या अन्य भत्ता, किसी समय वेतन में विलयित कर दिया जाए या बढ़ा या घटा दिया जाए, तो उक्त द्वितीय अनुसूची के समुचित उपशीर्षों में से किसी के सामने विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम तदनुसार बढ़ाई या घटाई गई समझी जाएगी ;

(3) शासकीय निवास के अनुरक्षण, सुधार, नवीकरण या पुनःस्थापन पर कोई भी व्यय इस निमित्त राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण के बिना, उक्त तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकमों के आधिक्य में उपगत नहीं किया जाएगा ।

8. निम्नलिखित वस्तुओं पर यदि उन्हें राज्यपाल द्वारा, नियुक्ति पर या अपनी पदावधि के दौरान, आयात किया जाए या किसी बंध-पत्र के अधीन क्रय किया जाए, कोई सीमा-शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा ;

(क) राज्यपाल या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के वैयक्तिक उपयोग, पहनावे, या उपभोगकी वस्तुएं ;

(ख) राज्यपाल के घर के सदस्यों या उसके अतिथियों, चाहे शासकीय हों या नहीं, के उपभोग के लिए खाद्य पेय और तम्बाकू ;

(ग) राज्यपाल के शासकीय निवास को सुसज्जित करने के लिए वस्तुएं ;

(घ) राज्यपाल के उपयोग के लिए दी गई मोटर कारें ।

प्रथम अनुसूची

[पैरा 3 (घ) और 6 देखिए]

राज्य	शासकीय निवास	सुसज्जा के नवीकरण के लिए राज्यपाल को अधिकतम भत्ता
(1)	(2)	(3)
मणिपुर . .	इम्फाल का सरकारी गृह	2,500 रु०
त्रिपुरा . .	अगरतला का सरकारी गृह	2,500 रु०

द्वितीय अनुसूची

(पैरा 7 देखिए)

मणिपुर और त्रिपुरा के राज्यपालों के लिए अनंतिम रूप से आवंटित रकम

राज्य	सम्पदा भत्ता	कर्मचारिवृंद और गृह संबंधी				विदा भत्ता	पर्यटन व्यय	जोड़
		राजभवन प्रबंधक एडी सी और उसका स्थापन	सत्कार भत्ता	शासकीय निवासों की सुसज्जा का अनुरक्षण और मरम्मत	अर्दली व्ययों के लिए भत्ता जिसमें मोटर कारों का अनुरक्षण सम्मिलित है			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
मणिपुर . .	1,200	14,000	200	1,000	2,500	20,000		38,900
त्रिपुरा . .	1,200	17,000	200	1,000	2,500	26,000		47,900

तृतीय अनुसूची

(पैरा 7 देखिए)

राज्यपालों के शासकीय निवास के बारे में व्यय—अनुरक्षण और मरम्मत

राज्य	सुधार	उद्यान	बिजली	पानी	कर	मरम्मत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मणिपुर . . .	——————5,000 रु० ——————					
त्रिपुरा . . .	——————5,000 रु० ——————					

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[संख्या 2/2/72—पब्लिक 1]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972